





**संश्लेषण**

**राज्य, पश्चिम विद्या परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- दिनांक: 09/08/2021

संख्या- पश्चिमविपद संसदसी/2021/13637

**कार्यक्रम का:**

पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय शिक्षा परिषद, 29 दिल्ली एमपी रोड दिल्ली और इण्डिया नई दिल्ली द्वारा विहित सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं के विषय संरचनाओं की अनुसूची का प्रस्ताव करने के उपरान्त पश्चिम विद्या परिषद, 30/80 राजाज से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 28/08/2021 को पश्चिम कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता नई संरचनाओं की संरचनाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर समता वृद्धि सहित अन्य नवी वर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार से विहित संरचना को पश्चिम विद्या परिषद, 30 वर सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित करने के अतिरिक्त सम्बद्धता सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं सत्र : 2299-RAMESHYARAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, GOVINDPURAM, NEAR SEWA HOSPITAL, SITAPUR ROAD, I.

क्र.सं.	संस्था का नाम	वर्षापूर्व/वर्षापूर्व/वर्षापूर्व द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुसूचित प्रवेश संख्या	पश्चिम द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुसूचित प्रवेश संख्या
1	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था 2299/000/000/000/000/000 द्वारा विहित की गयी शर्तें को पूर्णतः मान्य करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पश्चिम विद्या परिषद सत्र 1992 तथा पश्चिम विद्या परिषद विहितसंरचना 1992, संश्लेषण विहितसंरचना-2018 तथा अन्य विहित नियमों एवं शर्तों को अनुसूचित करेगी तथा सुनक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुनक तीन वर्षों के लिए वार्षिक रूप में 32150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए 64300.00/- प्रतिवर्ष एवं एक साल से अधिक वर्षों के लिए 96450.00/- प्रतिवर्ष सुनक के अनुसार ही प्रत्येक वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थाओं को सुनक के अनुसार ही प्रदान किया जायेगा पर प्रत्येक वर्ष के लिए प्रदान किया जायेगा। और अनुसूचित संरचनाओं को सुनक प्रदान किया जाएगा।
- ✓ संस्था को 30/80 पश्चिम विद्या परिषदों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जायेगा। विहितसंरचना-2020 की शर्तों को अनुसूचित मान्य होगा।
- ✓ संस्था में समस्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के अतिरिक्त नए शर्तों को विहित में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता सुनक प्रदान करवाये जायेगा।
- ✓ संस्था को 30/80/000/000/000/000/000 से अनुसूचित प्रवेश किये जाने का प्रस्ताव होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षाओं में विद्यार्थियों/अभिभावकों/शासनिक/निदेशों पर निर्देशक, पश्चिम विद्या, 30/80, समस्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/80 तथा पश्चिम विद्या परिषद, 30/80 द्वारा किये गये विद्यार्थी, विद्यार्थी, अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त एवं प्रत्येक शर्तों के अतिरिक्त प्रदान की जाती है।



## राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षा परिषद,

### उच्च शिक्षा अखण्ड

संख्या:- राष्ट्रीयशैक्षणिक सम्बद्धता/2022/7817

संख्या: दिनांक 30/08/2022

#### आज्ञापन पत्र:-

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली भारतीय नगरपालिका अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक वर्ष 2022-23 हेतु विदेशीय एकीकृत तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा अखण्ड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 20/08/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता देने में संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, माध्यमिक प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक नंद मिश्र के अध्यक्ष से निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा अखण्ड द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विस्तारित करने के अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं आने अर्थात् प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2398 RAMESHWARAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, GOVINDPURAM, NEAR SEWA HOSPITAL, SITAPUR ROAD, LUCKNOW

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की कुल सीटों की संख्या (वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता)	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था 90/आईटीसी/एच/एच/आई/आई/आई/आई द्वारा निर्धारित की शर्तें सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, दिल्ली/आई 1992 विनियम/आई-2003, सेमेस्टर विनियम/आई-2010 तथा समय-समय पर निर्मित शर्त/आई/आई अनुसूचक शर्तों तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय द्वैत पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय चार साली पाठ्यक्रम हेतु रु. 45000.00/- प्रतिवर्ष रु. एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों को वर्षीय चार साली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु. 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्यक्रम से प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त माध्यमिकी से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत द्वारा निर्गत किये जाने वाले शर्त/आई/आई परामर्श हेतु, और आवश्यक कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। नए निर्धारण समिति द्वारा प्रति वर्ष 2022-23 हेतु शिक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो शिक्षा की सर्वोत्तम हो लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शर्त/आई/आई के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/आवज्ञापित/निर्देशों एवं आदेशों, प्राविधिक विद्या, 2022, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2022 तथा एनितिक शिक्षा परिषद, 2022 द्वारा कलावे गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों को लागू बनाने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का 2022/2023/2024/2025/2026 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संघ में समस्त छात्रदाताओं संस्था का हीना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कलाई अथवा निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थानों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश स्वायत्त शिक्षा प्रणाली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के निर्गत विनियमों के पूर्व 2022/2023/2024/2025/2026 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद न्यायालय को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कॉन्सिडरिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समकालिक या निर्गत नवीनतम आदेशों/नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की एड्रेस/फोन नंबर्स, भूमि, स्थान, राज-सड़क, उपकरण, प्रायत किया जाने वाला सुझा, छात्रवृत्ति सुझा आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को विभाग-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त कालावधि उपलब्ध कराने के साथ दैनिक रिकॉर्ड के संचयन में समस्त आकांक्षित स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु शिक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिप्रेष, भूमि-अवकाश, कर्तृपर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवाहन में उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की समस्तदाय सन्धान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार स्वीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, स्थान, प्रायोगिक, उपकरण एवं अन्य राज-सड़क 2022/2023/2024/2025/2026/परिषद के नानमानुसर उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की समस्तदाय सन्धान का ही जायेगी।
- ✓ समस्तदाय रजि. का अनुपालन न किये जाने अपना जनों को उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

  
(राजेश्वर) शर्मा

सचिव

पुंनं- प्राविधिक/परिषद संनंदा/2022/7818-8488

दिनांक: 10/08/2022

प्राविधिक

प्राविधिक/प्रि/रामेश्वराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी & मैनेजमेंट, गोविंदपुराम,  
NEAR SEENA HOSPITAL, SITAPUR ROAD, LUCKNOW

  
(राजेश्वर) शर्मा